न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

1— अपील संख्या 110/2017

रामप्रताप पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट

बनाम

1. रामजस पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी 11 टी.के.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. बलराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी 11 टी.के.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. देवीलाल पुत्र खीयाराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगागनर।
4. हेतराम पुत्र खीयांराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. रामकुमार पुत्र खीयांराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. कृष्णलाल पुत्र खीयांराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. चावली देवी पुत्री खीयांराम पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी रामावाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. इन्द्राज पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. प्रेमप्रकाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. रीटा उर्फ रीतू पुत्री इन्द्राज पत्नी राजाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी 2 जे. डब्ल्यू जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
11. डूगरराम पुत्र गोधूराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
12. देवीलाल पुत्र खीयांराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. तीजा पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

14. विद्या पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
15. संतो पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
16. गंगादेवी पत्नी दौलतराम जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
17. बख्तावरी पत्नी दौलतराम जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
18. हनुमान पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी 11 टी.के.डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
19. मोहनलाल पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी 11 टी.के. डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
20. चन्द्रकला पत्नी दौलतराम जाति जाट निवासी 11 टी.के.डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
21. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।
22. राजकुमार पुत्र टेकचन्द जाति जाट निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

2– अपील संख्या 112/2017

रामप्रताप पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. रामजस पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी 11 टी.के.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. बलराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी 11 टी.के.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. देवीलाल पुत्र खीयाराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगागनर।
4. हेतराम पुत्र खीयांराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. रामकुमार पुत्र खीयांराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

6. कृष्णलाल पुत्र खीयांराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. चावली देवी पुत्री खीयांराम पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी रामावाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. इन्द्राज पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. प्रेमप्रकाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. रीटा उर्फ रीतू पुत्री इन्द्राज पत्नी राजाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी 2 जे. डब्ल्यू जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
11. डूगरराम पुत्र गोधूराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
12. देवीलाल पुत्र खीयांराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. तीजा पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
14. विद्या पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
15. संतो पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
16. गंगादेवी पत्नी दौलतराम जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
17. बख्तावरी पत्नी दौलतराम जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
18. हनुमान पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी 11 टी.के.डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
19. मोहनलाल पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी 11 टी.के. डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
20. चन्द्रकला पत्नी दौलतराम जाति जाट निवासी 11 टी.के.डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
21. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।
22. राजकुमार पुत्र टेकचन्द जाति जाट निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

3– अपील संख्या 114/2017

राजकुमार पुत्र टेकचन्द जाति जाट निवी 28 पीबीएन तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट

बनाम

1. रामजस | पिसरान मनफूल जाति जाट निवासी चक 11 टी.के.डब्ल्यू. तह0सादुलशहर
2. बलराम | जिला श्रीगंगानगर।
3. खीयांराम —मृतक

3/1 देवीलाल
3/2 हेतराम | पिसरान खीयांराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील
3/3 रामकमार | पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3/4 कृष्णलाल

3/5 चावली देवी पुत्री खीयांराम पत्नी बहादरराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी रामवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

3/6 सरस्वती देवी पुत्री खीयांराम —फोत

3/6/1 इन्द्राज पुत्र मनफूल जाति जाट | निवासी फतूही तहसील व जिला
3/6/2 प्रेमप्रकाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट | श्रीगंगानगर।

3/6/3 रीटा उर्फ रीतू पुत्री इन्द्राज पत्नी राजाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी 2 जे.डब्ल्यू जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

4. डूंगरराम—मृतक

4/1 जसराम | पुत्र डूंगरराम
4/2 धनराज |

5. देवीलाल पुत्र खीयांराम जाति जाट
6. रामप्रताप पुत्र श्योकरण जाति जाट
7. तीजां पुत्री श्योकरण जाति जाट
8. विद्यादेवी पुत्री श्योकरण जाति जाट
9. सन्तो पुत्री दौलतराम जाति जाट

जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

10.गंगादेवी पत्नी दौतलतराम जाति जाट | निवासी 11 टी.के.डब्ल्यू तहसील
11.बख्तावरी पत्नी दौलतराम जाति जाट | सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
12.हनुमान पुत्र दौलतराम जाति जाट
13.मोहनलाल पुत्र दौलतराम जाति जाट
14.चन्द्रकला पुत्री दौलतराम जाति जाट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

15.स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।

—रेस्पॉडेन्ट्स

4– अपील संख्या 115/2017

राजकुमार पुत्र टेकचन्द जाति जाट निवी 28 पीबीएन तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1.रामजस | पिसरान मनफूल जाति जाट निवासी चक 11 टी.के.डब्ल्यू. तह0सादुलशहर
2. बलराम | जिला श्रीगंगानगर।

3. खीयांराम —मृतक

3/1 देवीलाल
3/2 हेतराम | पिसरान खीयांराम जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील
3/3 रामकमार | पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3/4 कृष्णलाल

3/5 चावली देवी पुत्री खीयांराम पत्नी बहादरराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी रामवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

3/6 सरस्वती देवी पुत्री खीयांराम —फोत

3/6/1 इन्द्राज पुत्र मनफूल जाति जाट | निवासी फतूही तहसील व जिला
3/6/2 प्रेमप्रकाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट | श्रीगंगानगर।

3/6/3 रीटा उर्फ रीतू पुत्री इन्द्राज पत्नी राजाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी 2 जे.डब्ल्यू जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

4. डूंगरराम—मृतक

4/1 जसराम | पुत्र डूंगरराम
4/2 धनराज |

5. देवीलाल पुत्र खीयांराम जाति जाट
6. रामप्रताप पुत्र श्योकरण जाति जाट
7. तीजां पुत्री श्योकरण जाति जाट
8. विद्यादेवी पुत्री श्योकरण जाति जाट
9. सन्तो पुत्री दौलतराम जाति जाट

जाति जाट निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

10.गंगादेवी पत्नी दौतलतराम जाति जाट | निवासी 11 टी.के.डब्ल्यू तहसील
11.बख्तावरी पत्नी दौलतराम जाति जाट | सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
12.हनुमान पुत्र दौलतराम जाति जाट

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

13.मोहनलाल पुत्र दौलतराम जाति जाट | निवासी 11टी.के. डब्ल्यू तहसील सादुलशहर
14.चन्द्रकला पुत्री दौलतराम जाति जाट | जिला श्रीगंगानगर।
15.स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।

---रेस्पॉडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955
अपील सं. 110/2017 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर
निर्णय दिनांक 21.07.17 व 17.08.17
अपील सं. 112/2017 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर
निर्णय दिनांक 21.06.17
अपील सं. 114/2017 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर
निर्णय दिनांक 21.06.17
अपील सं. 115/2017 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर
दिनांक 21.07.17, 08.08.17 , 17.08.17

उपस्थिति–
श्री विक्रम बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांट
श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 2
श्री तेजासिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 3, 18 अपील सं. 110/2017,
रेस्पों. सं. 18 अपील सं. 112/2017, रेस्पों. सं. 3/1, 10, 12, 13
अपील सं. 114/2017 एवं अपील सं. 115/2017
श्री महावीर धारणीयां, राजकीय अधिवक्ता

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

निर्णय

दिनांक– 4-7-2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पों.सं. 1 से 2 ने उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट पेश किया। उक्त वाद में वादीगण ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वंशावली दर्शाते हुए कथन किया कि चक 11 टी.के.डब्ल्यू की खतौनी संख्या 23/22, प.नं. 40/211 के मु.नं. 51 के कि.नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 में 5.060है0, प.नं. 39/212 के मु.नं. 63 के कि.नं. 20, 21 सालम व प.नं. 40/212 के मु.नं. 64 के कि.नं. 1 ता 25 में 5.755है0 नहरी व प.नं. 41/212 के मु.नं. 65 के कि.नं. 1 ता 25 में 6.325है0 नहरी मय खाला, प.नं. 41/213 के मु.नं. 67 के कि.नं. 1 ता 25 में 6.325है0, प.नं. 40/213 के मु.नं. 68 के कि.नं. 1 ता 15 में

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

3.453है0 , प.नं. 39/213 के मु.नं. 69 के कि.नं. 1 ता 11 में 0.759है0 कुल 28.133है0 नहरी खाला मय गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण के नाम ब0हि0ब0 14.548है

(A) वादीगण ने वाद पत्र की मद सं. 11 के बिन्दु सं. "क" से "घ" अनसुार वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

(B) प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5 व 1/6/1 से 1/6/3 ने जबाब दावा मय काउन्टरक्लेम पेश कर कथन किया वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है एवं काउंटरक्लेम के सम्बन्ध में कथन किया कि निवेदन है कि कांउटरक्लेम की मद 'क' से 'घ' अनुसार काउंटरक्लेम डिक्री फरमाया जावे।

(C) प्रतिवादी सं. 8, 10, 11 ने जबाब दावा मय काउन्टरक्लेम पेश कर कथन किया कि वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है एवं कांउटरक्लेम के सम्बन्धा में कथन किया कि कांउटरक्लेम की मद सं. 'क' से 'ग' अनुसार कांउटरक्लेम डिक्री फरमाया जावे।

(D) प्रतिवादी सं. 14 राजकुमार ने इकबालदावा पेश कर कथन किया कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किया जावे तो मुझ प्रतिवादी को कोई उजर एतराज नहीं है।

(E) उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने अपने आदेश दिनांक 21.06.2017 से वाद वादीगण एवं कांउटरक्लेम प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/5, 1/6/1 ता 1/6/3 ,8, 10, 11 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगवाने का आदेश दिया।

(F) उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने विभाजन प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 21.07.2017 से वाद वादीगण एवं कांउटरक्लेम प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5, 1/6/1 से 1/6/3, 8, 10 ,11 स्वीकार किया।

(G) उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध पटवारी हल्का ताखरांवाली को अपने पत्रांक रीडर/2017/473 दिनांक 08.08.17 से मार्ग दर्शन दिया कि चक 19 एसपीएम के खाता सं. 52/36 से प्रतिवादी सं. 8,

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

10, 11 के नाम दर्ज आराजी से प्रतिवादी सं. 8, 10, 11 का नाम तर्क किया जाकर प्रतिवादी सं. 14 के नाम दर्ज किया जावे।

(H) उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने दिनांक 17.08.2017 को संशोधित आदेश जारी कर आदेश दिनांक 21.07.17 व डिक्री दिनांक 21.07.2017 में प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/6/3 के हक व हिस्सा की आराजी में मु.नं. 51 कि.नं. 7 ता 10 के स्थान पर मु.नं. 7 ता 9 पढा जावे एवं इसी अनुसार डिक्री की पालना कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये।

(I) अपील सं. 110/2017 उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 21.07.17 वे 17.08.17 के विरूद्ध पेश की गई है।

(J) अपील सं. 112/2017 उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 21.06.17 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के साथ अपीलांट ने दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

(K) अपील सं. 114/2017 उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 21.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के साथ अपीलांट ने दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

(L) अपील सं. 115/17 उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 21.07.2017 व 08.08.2017 एवं 17.08.17 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(A) विद्वान अभिभाषक अपीलांट की चारों अपीलों में अपनी बहस करते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किये हैं। अधी. न्यायालय में कांउटरक्लेम पेश हुए थे उनके बारे में तनकीयात कायम कर साक्ष्य लिया जाना चाहिए था तथा तहसीलदार पटवारी से कब्जा काश्त की रिपोर्ट मंगवायी जानी चाहिए थी। मगर अधी. न्यायालय ने ऐसी कोई प्रकिया नहीं अपनायी। यदि कब्जा काश्त की रिपोर्ट दिनांक 21.06.2017 से पूर्व मंगवायी जाती तो किसी प्रकार से प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित नहीं होते था, ना ही फाइनल डिक्री पारित होती। अपील सं. 114/17 व 115/17 के सम्बन्ध में निवेदन किया कि अधी. न्यायालय में वादी ने दौराने दावा भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

विक्रय की उनमें से केवल अपीलांट को ही पक्षकार बनाया जबकि रामजस ने वादग्रस्त भूमि दिनांक 05.11.2015 को धनराज पुत्र डूंगर को भी विक्रय की थी। परन्तु धनराज को पक्षकार न बनाकर केवल अपीलांट को पक्षकार बनाकर और अपीलांट का फर्जी व कूटरचित इकबाल दावा प्रस्तुत करवाकर दावा डिक्री करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधी. न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में मौका की कब्जा काश्त एवं बैंक ऋण के संबंध में प्रस्ताव मांगे थे। तहसीलदार हल्का द्वारा प्रतिवादी सं. 8, 10, 11 के कब्जा बाबत कोई प्रस्ताव नहीं दिया और न ही बैंक ऋण बाबत कोई प्रस्ताव दिया था। ऐसी सूरत में बिना प्रस्ताव प्रतिवादी सं. 8, 10, 11 के नाम भूमि दर्ज नही की जा सकती थी। मु.नं. 64 का विभाजन प्रस्ताव आता तो उसमें अवश्य अपीलांट का कब्जा दर्शाया जाता। अपीलांट का कब्जा होने के बावजूद विभाजन प्रस्ताव के अभाव में अपीलांट की भूमि रेस्पों. को देने में भूल की है।

(B) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपील सं. 114/2017 व 112/2017 में अपीलों के साथ दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः निवेदन है कि अपीलांट का दफा 5 के प्रा.पत्र स्वीकार फरमावे। अतःनिवेदन है कि अपील सं. 112/2017 ,110/2017 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेशों को निरस्त कर प्रकरण अधी. न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे। तथा अपील सं. 114/2017 व 115/2017 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त निरस्त किये जावे।

(C) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. 1, 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है। अधी. न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। प्रतिवादी सं. 14 राजकुमार ने दावा स्वीकार करने में अपनी सहमति दी थी। अधी. न्यायालय ने तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर सही निर्णय पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट्स खारिज फरमावे।

(D) श्री तेजा सिह एडवोकेट ने अपनी बहस में कथन किया कि मूल वाद में प्रतिवादी सं. 8, 9, 10, 11, 12 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनकी भूमि 19

एस.पी.एम. में स्थित है। प्रतिवादी सं. 9 व प्रतिवादी सं. 12 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही 01.07.2015 को हुई। अधी. न्यायालय का निर्णय 21.06.2017 को हुआ। आगे कथन किया कि यह पूरा वाद 2012 में राजजस व बलराम लेकर आयें। उन्हीं ने पक्षकार बनाया था। प्रतिवादी सं. 8, 10, 12 ने कांउटर क्लेम पेश किया जिसमें चक 11 टी.के.डब्ल्यू की भूमि के साथ चक 19 एस.पी.एम. की भूमि भी शामिल थी तथा दिनांक 09.06.2017 को ही पेश कर दिया था।

इस अपील के अपीलकर्ता उक्त वाद में प्रतिवादी, वादी का प्रा.पत्र 29.05.2017 को शामिल किया गया तथा उन्होंने इकबाल दावा 09.06.2017 को पेश किया। इसलिए वे इस मामलें का अपील में विरोध नहीं कर सकते। अतः अपील अस्वीकार की जावे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रतिवादी सं 14 अपीलांट ने अधी. न्यायालय में उक्त निर्णय के विरूद्ध रिव्यू भी फाईल कर रखा है तथा साथ ही यह भी कहा कि उक्त निर्णय के अनुसार म्यूदेशन होने पर अपीलांट की म्यूटेशन की अपील भी अति.कलक्टर श्रीगंगानगर से खारिज हो चुकी है।

अतः तर्क किया कि अपीलांट ने उक्त तथ्य न्यायालय से छिपाये साथ ही यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अपील के पूर्व अधी. न्यायालय में रिव्यू प्रा.पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है। अतः एक साथ दो उपचार प्राप्त नहीं कर सकता, साथ ही न्यायालय से ये तथ्य छिपाये हैं इसलिए अपील निरस्त की जानी योग्य है।

(E) वकील अपीलांट ने इन तथ्यों से अनभिज्ञता जताई किन्तु कोई इंकार नहीं किया।

3. उभयपक्ष की की उपरोक्त बहस व पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि :–

(a) इस मामले में अपील अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.06.17, 21.07.17, 08.08.17 तथा 17.08.17 के विरूद्ध चार अपीलें प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री की अपीले अधी. न्यायालय के बंटवारे के वाद में प्रतिवादी सं. 14 की गई है जो मामले बाद में प्रतिवादी

सं. 9 एवं 12 के हिस्से की भूमि चक 11 टी.के.डब्ल्यू तथा चक 19 एस.पी.एम. में रजि0 विलेख द्वारा खरीदने के कारण प्रतिवादी के रूप में 29.05.2017 को शामिल हुआ।

(b) अपीलांटगण व प्रत्यर्थी रामजस की बहस से यह तथ्य उभर कर आया कि अपीलांट एवं प्रत्यर्थी रामजस के बीच कोई विवाद नहीं है क्योंकि मूल वाद में वादपत्र की मद सं. 5 में बंटवारे हेतु वाद चक 11 टी.के.डब्ल्यू की भूमि का ही था। जिसे प्रत्यर्थी व अपीलांट द्वारा स्वीकार किया गया।

(c) अपील का मुख्य आक्षेप यह है कि वादपत्र के मद सं. 5 में बंटवारे का वाद केवल चक 11 टी.के.डब्ल्यू. का ही था जिसके आधार पर पी0डी0 जारी की गई। किन्तु कालांतर में अंतिम डिक्री जारी करते समय अधी. न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 8, 9, 10, 11, 12 की चक 19 एस.पी.एम. की भूमि को भी शामिल किया गया जो गलत है।

(d) उक्त चक 19 एस.पी.एम. में की प्रतिवादी सं. 9 व 12 के हिस्से की भूमि अपीलांट द्वारा रजि0 विलेख द्वारा खरीदी थी उसे अंतिम डिक्री में शामिल कर लिया गया तथा उक्त चक 19 एस.पी.एम. जोकि मूल वाद पत्र में उपचार में शामिल नही था में प्रतिवादी सं. 14 अपीलांट की खरीद शुदा हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 8, 10, 11 के नाम संशोधन आदेश द्वारा डिक्री में संशोधन पटवारी हल्का द्वारा डिक्री की पालना में मार्गदर्शन चाहने पर बिना पत्रावली पर लिये व पक्षकारों को सूचित किये ही संशोधन आदेश जारी कर दिया व अपीलांट की प्रतिवादी सं. 9 व 12 से खरीदशुदा भूमि जिसका कब्जा प्रतिवादी सं. 14/अपीलांट द्वारा ले लिया गया था पुनः प्रतिवादी सं. 8, 10, 11 के नाम करने का आदेश विधि अनुकूल नहीं है तथा प्रा.पत्र डिक्री के अनुसार व उसके द्वारा स्वीकृत कांउटरक्लेम के अनुरूप नहीं होने से वह व्यथीत है जिसकी अपीलें उन्होंने कानूनी बिन्दुओं पर की है।

(e) प्रत्यर्थीगण मूल वाद के प्रतिवादी सं. 8, 10, 11 द्वारा प्रतिवाद किया व कहा कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। उनके अनुसार :-

(1) मूल वाद में प्रतिवादी सं. 8, 9, 10, 11, 12 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनकी भूमि 19 एस.पी.एम. में स्थित है। प्रतिवादी सं. 9 व प्रतिवादी सं. 12 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही 01.07.2015 को हुई। अधी. न्यायालय का निर्णय 21.06.2017 को हुआ। आगे कथन किया कि यह पूरा वाद 2012 में राजजस व बलराम लेकर आयें। उन्हीं ने पक्षकार बनाया था। प्रतिवादी सं. 8, 10, 12 ने कांउटर क्लेम पेश किया जिसमें चक 11 टी.के.डब्ल्यू की भूमि के साथ चक 19 एस.पी.एम. की भूमि भी शामिल थी तथा दिनांक 09.06.2017 को ही पेश कर दिया था और यह भी आगे जोडा कि इस अपील के अपीलकर्ता उक्त वाद में प्रतिवादी, वादी का प्रा.पत्र 29.05.2017 को शामिल किया

गया तथा उन्होंने इकबाल दावा 09.06.2017 को पेश किया। इसलिए वे इस मामलें का अपील में विरोध नहीं कर सकते। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

हमने अपीलांट के जबाब का अवलोकन किया उसमें कांउटरक्लेम का कोई जिक नहीं है। प्रतिवादी सं. 14 ने केवल वाद पत्र को ही स्वीकार विशिष्टतः किया है। इससे यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता कि उसने प्रतिवादी सं. 8, 10, 11 के प्रतिवाद पत्र को भी स्वीकार किया है।। अतः अपीलांट का कथन विश्वास योग्य है।

(2) जहां इस कथन का प्रश्न है कि प्रतिवादी सं 14 अपीलांट ने अधी. न्यायालय में उक्त निर्णय के विरूद्ध रिव्यू भी फाईल कर रखा है तथा साथ ही यह भी कहा कि उक्त निर्णय के अनुसार म्यूदेशन होने पर अपीलांट की म्यूटेशन की अपील भी अति. कलक्टर श्रीगंगानगर से खारिज हो चुकी है और यह भी तर्क किया कि अपीलांट ने उक्त तथ्य न्यायालय से छिपाये साथ ही यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अपील के पूर्व अधी. न्यायालय में रिव्यू प्रा.पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है। अतः एक साथ दो उपचार प्राप्त नहीं कर सकता, साथ ही न्यायालय से ये तथ्य छिपाये हैं इसलिए अपील निरस्त की जानी योग्य है।

इस बाबत हमारा मन्तब्य है कि प्रार्थी द्वारा अधी. न्यायालय में प्रस्तुत रिव्यू प्रा.पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है एवं उस पर ना ही अधी. न्यायालय की प्राप्ति मार्किंग/रसीद/हस्ताक्षार नहीं है। अतः यह नही माना जा सकता कि ऐसा कोई प्रा.पत्र अधी. न्यायालय में विचाराधीन है। तथापि हमारा मन्तव्य है कि अपीलांट को दो उपचार उपलब्ध है या तो वह विहित समय में अधी. न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रा.पत्र द्वारा विचारण करावे या अपील में जाए। किन्तु रिव्यू प्रा.पत्र की सीमाएं है व उपचार भी सीमित है। वर्तमान में यह स्पष्ट साबित नहीं है कि रिव्यू विचाराधीन है। हम अपील पर विवेचन कर रहे है।

जहां तक न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर से म्यूटेशन की अपील का प्रश्न है उसका उल्लेख उपरोक्त विवाद हेतु सारभूत व प्रासांगिक नहीं है।

(f) उक्त विवेचन से हम अपीलांट के तर्कों से सन्तुष्ट है कि

(I) अधी. न्यायालय को वाद पत्र की मद सं. 5 में वर्णित भूमि 11 टी.के.डब्ल्यू. के सन्दर्भ में प्रा.डिक्री जारी करने के बाद चक 19 एस.पी.एम. की भूमि को भी अंतिम डिक्री में शामिल किया जिसके सम्बन्ध में अपीलांट को नहीं सुना। फलस्वरूप उसके उक्त चक में प्रतिवादी सं. 9 व 12 से खरीदशुदा भूमि भी अपने द्वारा अनुचित रूप से बिना सुनवाई के दिनांक 17.08.17 को धारा 152 सीपीसी का प्रार्थना पत्र ग्रहण कर इस पर पक्षकारों को बिना सूचना दिये, उनके विचार सुने बिना संशोधन कर विवादित आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जारी कर दिया। संशोधन द्वारा अपीलांट के हक की भूमि को प्रतिवादी सं. 8, 10, 11 के ही नाम दर्ज करने का आदेश दे दिया जो नितांत अनुचित है।

(II) मामले में अपीलांट व प्रत्यर्थी रामजस के बीच बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। क्योंकि अपीलांट का कथन है कि उन्होंने वादी के वादपत्र चक 11 टी.के.डब्ल्यू.भूमि भूमि बाबत स्वीकारोक्ति दी थी। कांउटरक्लेम नहीं पढा व उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री 21.06.2017 में 11 टी.के.डब्ल्यू. भूमि का ही उल्लेख है तथा तहसील से प्राप्त प्रस्तावों में मात्र वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का ही प्रस्ताव दिनांक 19.07.17 को प्राप्त हुए जिसमें चक 19 एस.पी.एम. की भूमि नहीं है। साथ ही अंतिम डिक्री में चक 19 एसपीएम की भूमि का कोई उल्लेख नहीं है।

(III) अपीलांट का मुख्य विवाद अधी. न्यायालय में प्रतिवादी सं.8 ,10, 11 को लेकर जिनकी भूमि चक 19 एस.पी.एम. में है तथा अधी. न्यायालय के अनुचित रूप से बिना सुनवाई व बिना पत्रावली पर तथ्य को लिये ही अंतिम डिक्री पश्चात अपीलांट के हक की भूमि पुनः प्रतिवादी सं. 8, 10, 11 के ही नाम दर्ज करने के आदेश कर दिये जबकि यह स्वीकार्य तथ्य है कि अपीलांट ने उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 9 व 12 से रजि0 विलेख द्वारा खरीदी है। इस तथ्य का मामले में प्रत्यर्थी/अधी. न्यायालय में प्रतिवादी 8, 10, 11 के अधिवक्ता द्वारा कोई विरोधी तर्क भी नहीं दिया व मौन रहे।

(IV) उक्त विवेचन से अपीलांट यह तार्किक रूप से साबित करने में सफल रहे कि अधी. न्यायालय ने जल्दबाजी में विधि के मूल सिद्धांतों की अवहेलना की है। फलस्वरूप निर्णय त्रुटिपूर्ण है व उसके अपीलांट के हकों पर कुठाराघात हुआ है।

लिहाजा यह न्यायालय अपीलें स्वीकार करते हुए उचित पाता है कि मामले को अधी. न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए चक 11 टी.के.डब्ल्यू. के साथ 19 एस.पी.एम. में सभी पक्षों के हितों को देखते हुए पुनः नये सिरे से करे, रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाई जाकर अंतिम डिक्री 2 माह के भीतर जारी कर मामलें निर्णित करें।

निर्णय आज दिनांक 4-7-2019 को मेरे द्वार खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर